फा.सं. 12/6/2013-संसद एवं समन्वय

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

तीसरा तल, जीवन दीप भवन,
10, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
अगस्त 23, 2022

कार्यालय आदेश

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) एवं (2) के तहत वित्तीय सेवाएं विभाग में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ)/अपीलीय प्राधिकारियों (एए) की नियुक्ति।

इस विभाग के दिनांक 22.8.2022 के समसंख्यक कार्यालय आदेश के अधिक्रमण में तथा वित्तीय सेवाएं विभाग में अधिकारियों की तैनाती/स्थानांतरण/पदोन्नतियां/अधिवर्षिता आदि के कारण परिवर्तन होने के फलस्वरुप **केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ)/अपीलीय प्राधिकारियों (एए)** की सूची एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधित की जाती है:-

वित्तीय सेवाएं विभाग में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ)/अपीलीय प्राधिकारियों (एए) की सूची:

क्रम सं.	**केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) का नाम, पदनाम, ई-मेल पता, दूरभाष संख्या**	**अपीलीय प्राधिकारी (एए) का नाम, पदनाम, ई-मेल पता, दूरभाष संख्या**	**मौजूदा आबंटित कार्य**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
	सर्वश्री/सुश्री	सर्वश्री/सुश्री	
1.	संजय कुमार मिश्रा, अवर सचिव bo1@nic.in sanjayk.mishra@nic.in (दूरभाष: 23748766)	कुलभूषण नय्यर, उप सचिव kul.nayyar@gov.in (दूरभाष: 23748789)	**बैंकिंग परिचालन-I (बीओ-I):** • आरबीआई के गवर्नर/डिप्टी-गवर्नर, एसबीआई के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीयकृत बैंकों के सीएमडी तथा ईडी, पीएसबी के पूर्णकालिक निदेशकों के वेतन, भत्ते तथा अन्य निबंधन एवं शर्तें। • आरबीआई तथा पीएसबी के निदेशक मंडल का गठन, कर्मकार कर्मचारी निदेशकों की नियुक्ति, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों तथा पीएसबी के अधिकारी कर्मचारी निदेशकों की नियुक्ति। • पीएसबी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति।
2.	राघव भट्ट, उप निदेशक Raghav.bhatt@nic.in (दूरभाष: 23748715)	सुषमा किंडो, संयुक्त निदेशक Sushma.kindo@nic.in (दूरभाष: 23360250)	**बैंकिंग परिचालन-II (बीओ-II):** • वित्तीय प्रणाली से संबंधित सभी अधिनियमों/विनियमों/नियमों जैसे परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881, चिट फंड अधिनियम, 1982 तथा इनामी चिट और परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 अविनियमित निक्षेप योजना अधिनियम, 2019 आदि का अभिशासन। • निक्षेप बीमा तथा ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) अधिनियम, 1961 • भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007

ह० शैलेन्द्र

			• फेक्टर विनियमन अधिनियम, 2011 • राज्य के विधान – राज्य सरकारों के निक्षेपकर्ता के हितों की सुरक्षा संबंधी अधिनियम • बहु-स्तरीय विपणन तथा पौंजी स्कीम से संबंधित मामले • आईएफएससी – जीआईएफटी की स्थापना • अंतर्राष्ट्रीय संबंध (बैंकिंग)/द्विपक्षीय मामले • द्विपक्षीय तथा बहु-पक्षीय साझेदारों के साथ भारत का डब्ल्यूटीओ, आरसीपीई, जेसीसीआई तथा सीईपीए/सीईसीए/एफटीए में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग • वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद तथा इसकी उप-समितियों से संबंधित मामले • केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सीईआईबी) से संबंधित मामले • न्यायालय परिसमापक का कार्यालय, कोलकाता से संबंधित मामले • सरकारी एजेंसी के कारोबार से संबंधित कार्य • फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) • सीमावर्ती जिलों (अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 80 किलोमीटर के भीतर) में बैंकों द्वारा करेंसी चेस्ट की स्थापना • बैंक अवकाश का युक्तिकरण/परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत बैंक अवकाश की घोषणा • अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) – सभी मामले – एएमएल तथा सीएफटी मामले • आपदा प्रबंधन और संकट प्रबंधन से संबंधित मामलों के संबंध में समन्वय कार्य
3.	के. एम. नंदकुमार, अवर सचिव km.nandakumar@nic.in (दूरभाष: 23748746)	सुरेन्दर सिंह, उप सचिव surrender.singh64@gov.in (दूरभाष: 23368993)	**बैंकिंग परिचालन-III (बीओ-III):** • बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/बीमा कंपनियों में ग्राहक सेवा। • व्यक्तियों/एसोसिएशनों से प्राप्त सभी प्रकार की शिकायतों/अभ्यावेदनों जैसे कि इन संस्थाओं में चेकों के समाशोधन में देरी, ड्राफ्टों का भुगतान न करना/जारी न करना, डुप्लीकेट ड्राफ्ट जारी न करना/जारी करने में देरी, संस्था के स्टाफ द्वारा दुर्व्यवहार/उदंडतापूर्ण व्यवहार/परेशान करना, मृतकों के खाते का निपटान न करना/निपटान में देरी करना, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में खातों का अंतरण न करना/अंतरण में देरी, नए खातों को न खोलना/खोलने में देरी, ग्राहकों के स्थायी अनुदेशों

सु० सोलेन्द्र

			का अननुपालन, परिपक्वता से पहले सावधि जमाराशियों का भुगतान न करना, क्रेडिट कार्डों, एटीएम इत्यादि के जरिए भुगतान सहित पेंशनभोगियों को भुगतान में विलंब संबंधी शिकायतों का समाधान। • सरकारी/निजी क्षेत्र/विदेशी बैंकों/ एफआई/बीमा कंपनियों के संबंध में डीएआरपीजी/डीपीजी से प्राप्त सभी प्रकार की शिकायतें। • निजी क्षेत्र तथा विदेशी बैंकों के विरुद्ध सांसदों/वीआईपी/पीएमओ इत्यादि से प्राप्त सभी प्रकार की शिकायतें। • बैंकिंग ग्राहक सेवा • बैंकिंग लोकपाल। • प्रगति बैठकों का समन्वय
4.	ज्ञानोतोष राय, अवर सचिव boa1-dfs@nic.in (दूरभाष: 23748751)	डॉ. संजय कुमार, निदेशक sanjay.k76@gov.in (दूरभाष: 23748642)	**बैंकिंग परिचालन एवं लेखा-I** **(बीओए-I):** • सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक समेकित समीक्षा तैयार करना और उसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत करना। • सरकारी क्षेत्र के बैंकों में लेखांकन प्रणाली तथा अंतिम लेखा का तरीका। • पीएसयू बैंकों के कार्य प्रणाली प्रतिफलों का अध्ययन तथा विश्लेषण। • पीएसबी/एफआई के कर संबंधी मामले। • पीएसबी द्वारा केन्द्र सरकार को देय लाभांश। • बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अंतर्गत आरबीआई द्वारा की गई पीएसबी की वार्षिक वित्तीय समीक्षाओं की संवीक्षा तथा अनुवर्ती कार्रवाई। • (सरकारी क्षेत्र के कमजोर बैंकों की पुनर्संरचना सहित) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की पूंजी पुनर्संरचना तथा शेयर पूंजी में सरकार का अंशदान, बैंकों के सार्वजनिक निर्गम। • यूएसएआईडी के अंतर्गत आईसीआईसीआई बैंक को विदेशी सहायता अनुदान जारी करना। • पीएसबी तथा पीएसबी व अन्य सरकारी विभागों/पीएसई के मध्य विवाद तथा मध्यस्थता। • पीएसबी में वकीलों की नियुक्ति। • गोवा में पुर्तगाली बैंकों के बचे हुए मामले। • बैंकों के प्रशासनिक कार्यालयों को खोलना तथा उन्हें अन्यत्र स्थापित करना।

			• बैंकिंग परिचालन से संबंधित सभी नीतिगत मामले, जैसे लाइसेंस देना, समामेलन, पुनर्संरचना, अधिस्थगन निधि तथा निजी क्षेत्र के बैंकों का अधिग्रहण। • पीएसबी के कार्य। • बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की विभिन्न धाराओं से छूट के संबंध में अधिसूचना तथा बीआर अधिनियम एवं बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 के अंतर्गत अपील की सुनवाई के लिए अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति। • सरकारी क्षेत्र के बैंकों, आरबीआई और राज्य स्तरीय बैंकों संबंधी सभी अधिनियमों/ विनियमों/ नियमों का अभिशासन। • संसद में पीएसबी की वार्षिक रिपोर्टों तथा लेखापरीक्षा रिपोर्टों को रखवाना इत्यादि।
5.	ज्ञानोतोष राय, अवर सचिव jnanatosh.roy@gov.in boa2-dfs@nic.in (दूरभाष: 23748751)	हार्दिक मुकेश शेठ, निदेशक hardik.sheth@gov.in (दूरभाष: 23748641)	**बैंकिंग परिचालन एवं लेखा-II (बीओए-II):** • साख सूचना कंपनी (सीआईसी)। • सभी पीएसबी के समझौते तथा ओटीएस सहित एनपीए/वसूली की निगरानी से संबंधित कार्य। • संसदीय मामले, वीआईपी/पीएमओ संदर्भ, शिकायतें एवं उपर्युक्त मामलों से संबंधित अन्य कार्य। • प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित इलाके में बैंकों द्वारा राहत कार्यों सहित एनपीए/दबावग्रस्त आस्तियां (क्षेत्रीय दबाव से इतर) से संबंधित सभी मामले। • दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ)। • बैंकों का लेखापरीक्षा करना, पीएसबी/एफआई के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक का निर्धारण। • पीएसबी द्वारा बैंक गारंटी, साख पत्र और वचन पत्र/सुखद और संबंधित शिकायतें। • पीएसबी/आरबीआई का सिटीजन चार्टर। • सरकारी स्थान अधिनियम, 1971 के अंतर्गत अधिग्रहण/लीजिंग/रेटिंग/ स्थान को खाली करना तथा सम्पदा अधिकारी। • भारत में विदेशी बैंकों का परिचालन (आईडीसी और एफडीआई पालिसी मामलों सहित)।

			• बैंकिंग क्षेत्र सुधार (ईएएसई इंडेक्स और पीएसबी सुधार एजेंडा सहित)। • एनबीएफसी पर एनबीएफसी और अपीलीय प्राधिकारी। • धोखाधड़ी और भगौड़ा अपराधियों सहित परिचालन जोखिम प्रबंधन (साइबर – सुरक्षा और डिजिटल भुगतान सुरक्षा के अलावा)। • एनबीएफसी और सीआईसी से संबंधित सभी अधिनियमों/विनियमनों/नियमों का अभिशासन। • पूर्णकालिक निदेशकों के कथन का आशय/मुख्य निष्पादन संकेतक/प्रदर्शन का मूल्यांकन। • दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) • भारतीय बैंकों की विदेश में स्थित शाखाएं।
6.	चन्द्रगुप्त शौर्य, अवर सचिव c.shaurya@nic.in (दूरभाष: 23748764)	प्रशांत कुमार गोयल, निदेशक dirac-dfs@nic.in (दूरभाष: 23748774)	**कृषि ऋण (एसी):** • कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में ऋण प्रवाह • कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना, 2008 • नाबार्ड (सेवा मामलों से इतर) कृषि वित्त कारपोरेशन (सेवा मामलों से इतर) से संबंधित मामले, उक्त विषय पर राज्य के कानून, सहकारी बैंक (शहरी सहकारी बैंकों सहित), वर्ल्ड बैंक, एडीबी तथा केएफडब्ल्यू से सहायता प्राप्त ग्रामीण/कृषि ऋण परियोजनाएं, सहकारी बैंकों द्वारा की गई अपीलें, सूक्ष्म वित्त से संबंधित मामले, प्राकृतिक आपदाओं, दंगा उपद्रवों इत्यादि से प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता, खादी एवं ग्रामीण उद्योग निगम, हथकरघा तथा हस्तशिल्प क्षेत्र को बैंक ऋण। • नाबार्ड का सिटीजन चार्टर। • नाबार्ड के सीएमडी तथा निदेशकों की नियुक्ति • किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना • आरबीआई द्वारा लाइसेंस को निरस्त किए जाने के विरुद्ध शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अपील के संबंध में पदनामित अपीलीय प्राधिकारी को सचिवालीय सहायता
7.	चन्द्रगुप्त शौर्य, अवर सचिव c.shaurya@nic.in (दूरभाष: 23748764)	प्रशांत कुमार गोयल, निदेशक dirac-dfs@nic.in (दूरभाष: 23748774)	**क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी):** • आरआरबी अधिनियम, 1976 तथा उसके अंतर्गत बनाए जाने वाले नियमों के संबंध में विधायी मामले • आरआरबी के निदेशक मंडल में गैर-सरकारी निदेशकों का नामांकन, अध्यक्ष की नियुक्ति, आरआरबी की सिफारिश, आरआरबी के कार्यनिष्पादन की समीक्षा, वेतन संशोधन, श्रम शक्ति नियोजन

			• सभी आरआरबी की वार्षिक रिपोर्ट और उसकी समीक्षा प्रस्तुत करना • आरआरबी के कर्मचारियों तथा अधिकारियों के स्टाफ सेवा विनियम तथा पदोन्नति नियमावली बनाना, आरआरबी के आईआर मामले। • आरआरबी का नागरिक घोषणा-पत्र। • प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित महिलाओं, कमजोर वर्गों को ऋण, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम, अल्पसंख्यकों को ऋण, सच्चर समिति द्वारा अनुशंसित चुनिन्दा पैरामीटरों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई, डीआरआई योजना
8.	सुरिन्दर कुमार, अवर सचिव usfi-dfs@nic.in (दूरभाष: 23748771)	सुशील कुमार सिंह, निदेशक sushil.sk@gov.in (दूरभाष: 23362422) जितेन्द्र असाटी, संयुक्त निदेशक Jdacfi-dfs@gov.in (दूरभाष: 23344462)	**वित्तीय समावेशन (एफआई):** • वित्तीय समावेशन के संबंध में अन्य अनुभागों, कार्यालयों, संस्थाओं इत्यादि सहित वित्तीय समावेशन से संबंधित कार्य • बैंकों की शाखाओं का विस्तार • अग्रणी बैंक योजना तथा सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण • जिला तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) • बैंकिंग नेटवर्क का क्षेत्रीय असंतुलन, व्यवसाय प्रतिनिधियों/व्यवसाय सुविधा प्रदाताओं, मोबाइल बैंकिंग से संबंधित मामले, सभी वित्तीय संस्थाओं में ई-गवर्नेंस से संबंधित मामले तथा बैंकिंग प्रणाली में ई-पेमेंट्स तथा पीएसबी में कंप्यूटरीकरण • भुगतान विनियामक बोर्ड (पीआरबी) के गठन से संबंधित मामले तथा पीआरबी से संबंधित मामले • न्यूनतम जमा राशि, नकदी प्रबंधन और डिजिटल भुगतान प्रभार, कार्डों को छोड़कर डिजिटल भुगतान प्लेटफार्मों पर व्यापार की ऑन-बोर्डिंग • डिजिटल भुगतान प्लेटफार्मों से संबंधित बैंकिंग मामले, प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडवाई), मिशन कार्यालय • स्टैण्ड-अप इंडिया (एसयूआई) से संबंधित सभी मामले।
9.	विजय शंकर तिवारी, अवर सचिव ir@nic.in usir-dfs@nic.in (दूरभाष: 23748753)	कुलभूषण नय्यर, उप सचिव kul.nayyar@gov.in (दूरभाष: 23748789)	**औद्योगिक संबंध (आईआर):** • आईडीबीआई/आरबीआई सहित पीएसबी के सेवा मामले, नाबार्ड के पेंशन संबंधी मामले • औद्योगिक विवाद अधिनियम के मामले, पीएसबी तथा आरबीआई यूनियनों तथा बैंकिंग उद्योग में संघों से संबंधित मानव संसाधन मामले, बैंकों में

ह० शैलेन्द्र

			स्थानांतरण, पदोन्नति तथा मानव संसाधन विकास की नीति के द्विपक्षीय समझौते • बैंक कर्मचारियों की राजनीतिक गतिविधियों की आईबी रिपोर्ट • विदेशी शाखाओं में बैंक कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते • मानव संसाधन सुधार।
10.	कुमार शैलेन्द्र, अवर सचिव uscoord-dfs@nic.in (दूरभाष: 23746413)	जैसमिन जेम्स, उप सचिव jasmine.james@nic.in (दूरभाष: 23748731)	**समन्वय:** • सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ वित्त मंत्री की बैठकें एवं क्षेत्रीय सलाहकार समिति की बैठकें • सचिव (एफएस) की स्टाफ बैठक/वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक (एसओएम) • वीआईपी संदर्भ, पीएमओ संदर्भ के निपटान की निगरानी एवं समीक्षा, आरबीआई के लंबित मामलों का समन्वय • वीआईपी संदर्भों से संबंधित संसद प्रश्न • सचिव (एफएस) से केबिनेट सचिव को मासिक अ.शा. पत्र • सीपीआईओ, एसीपीआईओ, अपीलीय प्राधिकारी (एए) की नियुक्ति एवं डीएफएस के आरटीआई मामलों हेतु नोडल अनुभाग एवं वार्षिक रिपोर्ट आदि के लिए सीआईसी के साथ चर्चा करना, • वित्तीय सेवाएं विभाग से संबंधित आरंभिक सामग्री का उन्नयन; वीआईपी, पीएमओ, राष्ट्रपति सचिवालय से समन्वय, आदि; वे संदर्भ जिनमें डीएफएस के दो से अधिक प्रभाग शामिल हों, का समन्वय।
11.	संजय कुमार झा, अवर सचिव sanjay.jha@nic.in (दूरभाष: 23748709)	वीवीएस खड़ायत, निदेशक vvs.kharayat@nic.in (दूरभाष: 23748779)	**स्थापना:** • एफआर 56 (ञ) के तहत आरआर सहित वित्तीय सेवाएं विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से संबंधित मामले, नियुक्ति, एसीआर, प्रतिनियुक्ति (विदेश सहित), प्रशिक्षण, आईडब्ल्यूएसयू, एसआईयू, कल्याण, अधिकारियों की समीक्षा आंतरिक सतर्कता, स्टाफ शिकायत, पेंशन आदि; • अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभिन्न अग्रिम प्रदान करना, वकीलों को फीस का भुगतान, चिकित्सा दावों का निपटान एवं सीजीएचएस मामले, परिवार कल्याण कार्यक्रम।
12.	शिव दत्त शर्मा, अवर सचिव shiv.sharma67@nic.in (दूरभाष: 23748750)	सुरेन्द्र सिंह, उप सचिव surender.singh64@gov.in (दूरभाष: 23368993)	**सामान्य प्रशासन (जीए):** • हाउसकीपिंग, सुरक्षा के मामले, सफाई, स्टोर, कैन्टीन, आरएंडआई, पुस्तकालय।

शै शैलेन्द्र

			• स्टाफ कार चालक, वित्तीय सेवाएं विभाग के अधिकारियों को वाहन। • कंप्यूटर हार्डवेयर की खरीद एवं कंप्यूटरों, प्रिंटर एवं अन्य उपकरणों का रख-रखाव। • फर्नीचर और बिजली की वस्तुओं का रख-रखाव • डीएफएस के कर्मचारियों की विदाई की व्यवस्था के लिए संचालन संबंधी सहायता। • डीएफएस के स्टाफ एवं सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/बीमा कंपनियों, आदि के सीएमडी/ईडी/पीआरओ को पहचान पत्र देना।
13.	सौम्यजित घोष, अवर सचिव soumyajit.ghosh@nic.in (दूरभाष: 23748767)	वीवीएस खड़ायत, निदेशक vvs.kharayat@nic.in (दूरभाष: 23748779)	**संसद:** • संसद प्रश्नों, सूचनाओं, स्वीकृत प्रश्नों को संग्रहित करना, उनकी पहचान करना एवं उन्हें चिह्नित करना तथा मंत्री से फाइलें अनुमोदित करवाना। • मंत्रियों के पैड्स के लिए तथ्य एवं उत्तर तैयार करना। • 377 के अंतर्गत लंबित आश्वासनों, विशेष उल्लेखों एवं संदर्भों तथा आरंभिक सामग्री में यथा उल्लिखित अन्य मामलों का ध्यान (ट्रेक) एवं रिकार्ड रखना। • संसद के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति का संबोधन। • अन्य मंत्रालयों/विभागों को संसदीय प्रश्नों के लिए सामग्री का संकलन और प्रस्तुतीकरण। • संसदीय समिति के मामले।
14.	भीम सिंह, उप निदेशक bhim.singh62@gov.in (दूरभाष: 23360784)	संजय कुमार, उप सचिव sanjay.kumar1971@nic.in (दूरभाष: 23364063)	**हिन्दी:** • सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन। • संसद प्रश्नों से संबंधित अनुवाद का कार्य। • स्थायी समिति बैठकों के कार्यवृत्त • हिन्दी शिक्षण योजना तथा डीएफएस की इंडक्शन (कार्य) सामग्री में यथा वर्णित विविध कार्य।
15.	अरुण कुमार, अवर सचिव Arun.kumar@nic.in (दूरभाष: 23748725)	एस. के. रॉय, उप सचिव sanjaykumar.roy@nic.in (दूरभाष: 23362349)	**कल्याण अनुभाग:** • पीएसबी/एफआई/पीएसआईसी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ ओबीसी/दिव्यांग तथा भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती, पदोन्नति तथा कल्याण उपायों से संबंधित मामले। • पीएसबी/एफआई/पीएसआईसी में इन श्रेणियों के लिए आरक्षण से संबंधित नीतिगत मामला, आरआरबी इत्यादि में आरक्षण मामले। • पीएसबी/एफआई/पीएसआईसी में एससी/एसटी/ओबीसी के लिए आरक्षण रोस्टर का निरीक्षण/परीक्षण।

16.	अरुण कुमार, अवर सचिव Arun.kumar@nic.in (दूरभाष: 23748725)	एस. के. रॉय, उप सचिव sanjaykumar.roy@nic.in (दूरभाष: 23362349)	**आरक्षण प्रकोष्ठ (आरसी):** एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी के लिए सम्पर्क अधिकारी के रूप में सुचारू संचालन और अपने कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए सम्पर्क अधिकारी को सहायता, इस विभाग के उचित सचिवालय के लिए एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी के आरक्षण रोस्टर की तैयारी, रख-रखाव, विभाग के एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के संबंध में संसदीय प्रश्नों, एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी के लिए राष्ट्रीय आयोग को उत्तर, विभाग के एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के डेटा का रख-रखाव, संबंधित मामलों में अन्य मंत्रालयों/विभागों/संसदीय समितियों आदि को सभी रिपोर्टों/सूचनाओं का प्रस्तुतीकरण।
17.	चन्द्र मोहन कपूर, अवर सचिव chander.kapoor@nic.in (दूरभाष: 23748719)	उमेश चन्द्र, उप सचिव umeshcharnra.2012@nic.in (दूरभाष: 23342287)	**आंकड़ा विश्लेषण (डीए):** • भारतीय रिजर्व बैंक ऋण नीति – व्यस्त मौसम – सुस्त मौसम तथा चुनिंदा ऋण नियंत्रण • वित्तीय क्षेत्र का आकलन तथा क्षेत्रीय ऋण का विश्लेषण • बैंक जमाराशियों तथा अग्रिमों से संबंधित बैंकिंग आंकड़े • बैंकों की जमाराशियां तथा अग्रिम • बैंक की जमाराशियों तथा अग्रिमों पर ब्याज की दरें • आरबीआई, आईबीए से संबंधित परिणामों तथा महत्वपूर्ण सूचना को प्रदर्शित करना, बैंकिंग सुधारों के संबंध में अध्ययन • भारत में बैंकिंग क्षेत्र से संगत अन्य अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों का विश्लेषण • वित्तीय क्षेत्र सुधारों आदि के संबंध में समितियों की रिपोर्टों का विश्लेषण • प्रबंधन सूचना प्रणाली – बैंकिंग उद्योग से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण एवं मिलान। • रिजल्ट फ्रेमवर्क डाक्यूमेंट (आरएफडी), विभिन्न अवसरों पर वित्त मंत्री/वित्त राज्य मंत्री के भाषण। • लेखापरीक्षा पैरा। • यूएन ई-सरकारी सूचकांक तथा डिजिटल सेवाएं। • वित्तीय क्षेत्र आंकड़ों की समिति से संबंधित कार्य। • डीएफएस के बजट प्रस्तावों का समन्वय। बजट उद्घोषणा से संबंधित मामले, उत्पाद-परिणाम निगरानी ढांचा।

कु० शैलेन्द्र

			• सतत् विकास लक्ष्यों-डीएफएस से संबंधित संकेतक।
18.	सौम्यजित घोष, अवर सचिव soumyajit.ghosh@nic.in (दूरभाष: 23748767)	अनिंदिता सिन्हारे, निदेशक anindita@nic.in (दूरभाष: 23748718)	**औद्योगिक वित्त-I (आईएफ-I):** • निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 तथा आईआईएफसीएल की अर्थक्षम/व्यवहार्य अवसंरचना वाली परियोजनाओं (एसआईएफटीआई) के वित्तपोषण की स्कीम का अभिशासन, एक्जिम बैंक, आईआईएफसीएल, आईडब्ल्यूआरएफसी एवं आईआईबीआई लि. से संबंधित परिचालनात्मक/नीतिगत/बजटीय मामले। • आईएफसीआई लि., आईडीएफसी लि. से संबंधित मामले, आईआईबीआई लि. को बंद करने और अन्य संबंधित मामले। • बोर्ड स्तरीय नियुक्तियां - पूर्णकालिक निदेशकों - एक्जिम, आईआईएफसीएल, आईएफसीआई लि. तथा उनके व्यक्तिगत मामले। • सरकार द्वारा नामित निदेशक – एक्जिम बैंक, आईआईएफसीएल, आईएफसीआई लि. और आईडीएफसी लि.। • एक्जिम बैंक, आईआईएफसीएल और आईएफसीआई लि. में गैर-सरकारी निदेशक/स्वतंत्र निदेशक। • अवसंरचना, विद्युत, वस्त्र, निर्यात, स्टील, टेलीकॉम, सड़क, शिपिंग (जोड़ा गया) आदि जैसे क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट मामले।
18 (क)		अभिरक्षक का कार्यालय	• आईआईएफसीएल, एक्जिम बैंक, आईएफसीआई लि. की वार्षिक रिपोर्ट और आईआईबीआई लि. की परिसमापक रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत करना। • रत्नागिरी गैस एंड पॉवर प्रा. लि. (आरजीपीपीएल) से संबंधित मामले। • एक्जिम बैंक और आईआईएफसीएल के सिटिजन चार्टर। • आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) के समाधान और पंजीकरण मुद्दों से संबंधित सभी मामले और एआरसी की गतिविधियों पर नजर रखना। • राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि से संबंधित सभी मामले। • एक्जिम बैंक में सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति। • परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) की बैठक। • आंशिक ऋण गारंटी योजना (पीसीजीएस)। • अभिरक्षक के कार्यालय के अधिकारियों के सतर्कता मामले

			• अभिरक्षक के कार्यालय से संबंधित स्थापना के मामले • किसी पद को जारी रखने से संबंधित सभी मामले, अभिरक्षक के कार्यालय के बजट संबंधी मामले और अभिरक्षक के कार्यालय का विस्तार तथा अभिरक्षक की नियुक्ति।
19.	शिवानी गोयल, सहायक निदेशक shivani.goel@gov.in (दूरभाष: 23748775)	जितेन्द्र असाटी, संयुक्त निदेशक jdacfi-dfs@gov.in (दूरभाष: 23344462)	**मीडिया प्रकोष्ठ:** • मीडिया और प्रचार-प्रसार से संबंधित डीएफएस के मामले।
20.	शिवानी गोयल, सहायक निदेशक shivani.goel@gov.in (दूरभाष: 23748775)	श्रीकांत नामदेव, निदेशक shrikant.namdeo@gov.in (दूरभाष: 23742100)	**औद्योगिक वित्त-II (आईएफ-II):** • राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 का अभिशासन। • भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम का अभिशासन। • राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम का अभिशासन और राज्य वित्तीय निगम अधिनियम का अभिशासन। • सिडबी और एनएचबी से संबंधित परिचालनीय/नीतिगत और बजटीय मामले। • एनएचबी और आवासन नीति से संबंधित मामले। • बीआईएफआर और एएआईएफआर मामलों के समापन के बाद। • सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), टीआरईडीएस, सिडबी, एसएफसी, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों ऋण गारंटी निधि, सीजीएफएमयू, सीजीएफएसआई, सीजीटीएमएसई, सीजीएफएफ से संबंधित मामले। • एमएलआई, ऋण गारंटी योजना से संबंधित मामले एवं उक्त विषय से संबंधित अन्य मामले। • एनएचबी एवं सिडबी के सिटीजन चार्टर से संबंधित मामले। • विद्यालक्ष्मी पोर्टल, सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं-पीएमईजीपी, शिक्षा, एसजीएसवाई, एसजेएसआरवाई की रोजगार सृजन योजना और अन्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और अन्य संबंधित मामले, वीआईपी संदर्भ, लेखापरीक्षा पैरा, सीपीग्राम, आरटीआई, संसद प्रश्न, आश्वासन, शिकायतें, बजट घोषणाएं, आरबीआई और राज्य सरकारों के साथ समन्वय सहित शैक्षिक ऋण से संबंधित सभी मामले। • सिडबी और एनएचबी में पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति और सभी कार्मिक मामले। • सिडबी और एनएचबी में गैर सरकारी/स्वतंत्र निदेशकों और सरकार द्वारा नामित निदेशकों की

कु. जितेन्द्र

			नियुक्ति। • संसद के समक्ष सिडबी और एनएचबी की वार्षिक रिपोर्ट रखना • प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) से संबंधित सभी मामले। • सूक्ष्म वित्त (आईएफ-II) - सूक्ष्म वित्त संस्थानों और उन पर कानून, स्वयं सहायता समूहों के साथ-साथ नाबार्ड के सूक्ष्म वित्त आदि से संबंधित मामले। • psbloansin59minutes पोर्टल से संबंधित मामला।
21.	एल. सी. त्रेहन, अवर सचिव lokesh.trehan@nic.in vigilance-dfs@nic.in (दूरभाष: 23747018) (दूरभाष: 23748708)	श्रीकांत नामदेव, निदेशक shrikant.namdeo@gov.in (दूरभाष: 23742100)	**सतर्कता:** • सीवीसी/सीटीई के साथ परामर्श। • पीएसबी/एफआई/पीएसआईसी के लिए सीवीओ का नामांकन। • सीबीआई के साथ पत्राचार। • भ्रष्टाचार विरोधी उपायों पर वार्षिक कार्य योजना। • सीबीआई और आरबीआई द्वारा धोखाधड़ी के मामलों की जांच। • भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामले। • निवारक सतर्कता। • आरबीआई/पीएसबी/एफआई और बीमा कंपनियों - पीएफआरडीए और आईआरएडीआई/आरबीआई में सतर्कता प्रणाली और प्रक्रियाएं। • पीएसबी/एफआई/पीएसआईसी/ पीएफआरडीए और आईआरएडीआई/आरबीआई के जीएम/ईडी और सीएमडी के खिलाफ शिकायतों की जांच और उन पर सतर्कता निगरानी। • पीएसबी (भारत और विदेशों में) में बड़ी धोखाधड़ी। • भ्रष्टाचार विरोधी उपायों पर पीएमओ का संदर्भ। • बैंक सुरक्षा, डकैती और बैंकों में नुकसान की रोकथाम। • ईडी/सीएमडी के मामले में अभियोजन की स्वीकृति। • वॉर बुक के मामले। • सीवीसी की वार्षिक रिपोर्ट। • पीएसबी/एफआई में आचरण विनियमन, पीएसबी में सेवानिवृत्ति नियमों के बाद रोजगार। • डीआरटी/डीआरएटी से संबंधित सीवीसी/सीबीआई संदर्भ। • सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, पीएसआईसी, पीएफआरडीए, आईआरडीए और

			आरबीआई के बोर्ड स्तर पर नियुक्त व्यक्तियों की सतर्कता अनापत्ति, अभियोजन की स्वीकृति और कोई अन्य मामला। • डीएफएस के अधिकारियों और डीआरटी/डीआरएटी में सरकारी अधिकारियों के सतर्कता मामले। • संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) (जिसने प्रतिभूतियों के लेनदेन में अनियमितताओं की जांच की)। • प्रतिभूतियों के लेन-देन में अनियमितताओं में शामिल बैंक कर्मचारियों/कार्यकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई। • विशेष न्यायालयों/अभिरक्षक के कार्यालय से संबंधित स्थापना मामले। • विशेष न्यायालय से संबंधित सभी मामले।
22.	सुभाषचन्द्र अमीन, अवर सचिव usdrt-dfs@nic.in drt@nic.in (दूरभाष: 23748741)	संजय कुमार, उप सचिव sanjay.kumar1971@nic.in (दूरभाष: 23364063)	**ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी):** • बैंकों और वित्तीय संस्थानों को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 के तहत डीआरटी/डीआरएटी की स्थापना. • ऋण वसूली और दिवालियापन (आरडीबी) अधिनियम का प्रशासन, अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाना या संशोधन करना। • डीआरटी/डीआरएटी में अध्यक्षों, पीठासीन अधिकारियों, पंजीयकों, सहायक पंजीयकों, वसूली अधिकारियों और अन्य पदों के पदों को भरना। • प्रशासनिक मामलों पर स्पष्टीकरण/दिशानिर्देश आदि जारी करना। • डीआरटी/डीआरएटी द्वारा मामलों की प्रगति और निपटान। • डीआरटी/डीआरएटी से संबंधित बजट प्रावधान, निगरानी आदि। • सरफासी अधिनियम का प्रशासन, सीईआरएसएआई के रजिस्ट्रार / एमडी और सीईओ की नियुक्ति, कारोबार एजेंडा को हाल के संशोधनों के अनुरूप सुविधाजनक बनाना। • धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत सीकेवाईसी मामले। • सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत केंद्रीय रजिस्ट्री सहित प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित (सीईआरएसएआई), एक पीएसयू की केंद्रीय रजिस्ट्री से संबंधित नीतिगत मामले।
23.	विनोद कुमार, अवर सचिव usins1-dfs@nic.in (दूरभाष: 23748788)	सुरजीत कार्तिकेयन, उप सचिव surjith.k@nic.in (दूरभाष: 23748772)	**बीमा-I** • सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं और

			एआईसीआईएल, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, भारतीय बीमांकक संस्थान परिषद, बीमा लोकपाल, बीमा लोकपाल परिषद, और बैंक बोर्ड ब्यूरो से संबंधित बीमा नियुक्ति संबंधी मामलों से संबंधित कॉर्पोरेट प्रशासन, नियुक्ति और सेवा मामले •बीमांकक अधिनियम, 2006 का अभिशासन और संबंधित मामले •सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 से संबंधित सार्वजनिक संस्थाओं के मामले •संसदीय, लेखा परीक्षा, सूचना का अधिकार, अदालत, मध्यस्थता और वीआईपी संदर्भ संबंधित मामले और प्राप्तियों के माध्यम से संदर्भित मामलों से निपटने या अन्यथा ऊपर वर्णित या उससे जुड़ी किसी भी मद के संबंध में
24.	जॉय सक्सेना, अवर सचिव Joy65.saxena@gov.in (दूरभाष: 23748742)	मंदाकिनी बलोधी, निदेशक mandakini.balodhi@nic.in (दूरभाष: 23748736)	**बीमा-II** •बीमा अधिनियम, 1938 का अभिशासन; जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956; सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972; बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 और संबंधित मामले, कॉर्पोरेट प्रशासन, नियुक्ति और सेवा मामलों से संबंधित मामलों के अतिरिक्त • बीमा से संबंधित नीतिगत मामले, और इसके लिए, उक्त अधिनियमों द्वारा या इसके तहत स्थापित बीमा क्षेत्र और विभिन्न निकायों के रुझानों और विकास और प्रदर्शन का विश्लेषण •शासन, नियुक्ति और सेवा मामलों के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा और भारतीय कृषि बीमा निगम लिमिटेड (एआईसीआईएल) से संबंधित प्रशासनिक मामले •पूंजी आवश्यकताओं का आकलन, **विभाजित वेतन भुगतान** और सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा और एआईसीआईएल का प्रदर्शन •बीमा सुरक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और सरकार द्वारा प्रायोजित/समर्थित अन्य बीमा योजनाएं •बीमा लोकपाल नियम और उसका अभिशासन, कॉर्पोरेट प्रशासन के अलावा, बीमा लोकपाल और

			बीमा लोकपाल परिषद से संबंधित नियुक्ति और सेवा संबंधी मामले ●बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश ●बीमा में प्रौद्योगिकी को अपनाने सहित क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं में सुधार (साइबर सुरक्षा और फिनटेक अनुभाग को आवंटित मामलों को छोड़कर) ●अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अनुभाग के प्रभारी को सहयोग देना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बीमा संबंधी पहलुओं से जुड़े मामले; ●बीमा क्षेत्र से संबंधित कराधान मामले ●उद्योग से संबंधित मामले, जिनमें उद्योग निकायों/संघों द्वारा उठाए गए मामले भी शामिल हैं ●विधि आयोग की रिपोर्ट का कार्यान्वयन ●बीमा से संबंधित सभी अवशिष्ट मामले जिन्हें विशेष रूप से बीमा-I अनुभाग या बीमा-II अनुभाग को आवंटित कार्य की एक मद के रूप में नहीं गिना जाता है ●संसदीय, लेखा परीक्षा, सूचना का अधिकार, अदालत, मध्यस्थता, वीआईपी संदर्भ संबंधित मामले और रसीदों के माध्यम से संदर्भित मामलों से निपटने या अन्यथा ऊपर वर्णित या उससे जुड़ी किसी भी वस्तु के संबंध में।
25.	हरकेश चन्द्र, अवर सचिव harkesh.c@nic.in (दूरभाष: 23748760)	सुषमा किंडो, उप निदेशक shshma.kindo@nic.in (दूरभाष: 23360250)	**पेंशन सुधार (पीआर):** ●पेंशन क्षेत्र में सुधार • एनपीएस, अटल पेंशन योजना और स्वावलंबन योजना के संबंध में नीतिगत मामले • पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 का अभिशासन • पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 के तहत नियमों का निर्माण • पीएफआरडीए के अध्यक्ष और बोर्ड सदस्य की नियुक्ति, पीएफआरडीए में सीवीओ, पीएफआरडीए का बजट और निधि • पीएफआरडीए को विधायी और नीतिगत नुस्खे

26.	जॉय सक्सेना, अवर सचिव Joy65.saxena@gov.in (दूरभाष: 23748742)	सुरजीत कार्तिकेयन, उप सचिव surjith.k@nic.in (दूरभाष: 23748772)	**साइबरसिक्यूरिटी एंड फिनटेक अनुभाग (आईटी):** • वित्तीय सेवा क्षेत्र और विभाग के लिए समग्र साइबर सुरक्षा से संबंधित मामले • वित्तीय सेवा क्षेत्र और विभाग (बैंकिंग प्रणाली में ई-भुगतान से संबंधित मामलों के अलावा) से संबंधित मामलों में फिनटेक और डीप टेक (कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बड़ा डेटा, ब्लॉक चेन, आदि) का समन्वय • विभाग की वेबसाइट और वेब सेवाओं का प्रबंधन • विभाग के लिए एनआईसी के साथ समन्वय • संसदीय, लेखा परीक्षा, सूचना का अधिकार, अदालत, मध्यस्थता और वीआईपी संदर्भ संबंधित मामले और प्राप्तियों के माध्यम से संदर्भित मामलों से निपटने या अन्यथा ऊपर वर्णित या उससे जुड़ी किसी भी वस्तु के संबंध में
27.	संजय कुमार झा, अवर सचिव sanjay.jha@nic.in (दूरभाष: 23748709)	वीवीएस खड़ायत, निदेशक vvs.kharayat@nic.in (दूरभाष: 23748779)	**सरप्लस सैल:** • एएआईएफआर और बीआईएफआर के अधिशेष कर्मचारियों से संबंधित सभी सेवा मामले और दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक मामले, जिसमें उनकी पुनर्नियुक्ति भी शामिल है। • डीओपीटी के साथ परामर्श, अधिशेष कर्मचारियों के अदालती मामलों को संभालना, • आरटीआई और अधिशेष, कर्मचारियों के व्यक्तिगत मामले जैसे छुट्टी, पुन: परीक्षण लाभ, भत्तों और भत्ते आदि।
28.		संजय कुमार, उप सचिव sanjay.kumar1971@nic.in (दूरभाष: 23364063)	**जीएसटी प्रकोष्ठ:** • जीएसटी को लागू करने के लिए डीएफएस के तहत सभी संस्थानों की विदेशी तैयारी, जीएसटी के संदर्भ में "बैंकिंग, वित्तीय और बीमा" क्षेत्रीय समूह को इनपुट प्रदान करने के लिए। • डीएफएस आदि के प्रशासनिक नियंत्रण वाले संस्थानों के संबंध में जीएसटी के समन्वय, रोलआउट और कार्यान्वयन से संबंधित अन्य मामले।
29.	कुमार शैलेन्द्र, अवर सचिव shailendra.kumar77@nic.in (दूरभाषः 23746413)	संजय कुमार, उप सचिव sanjay.kumar1971@nic.in (दूरभाष: 23364063)	**लीगल मानिटरिंग सैल (एलएमसी):** • एलआईएमएस और माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/कैट के ऑनलाइन पोर्टल पर डीएफएस के न्यायालयगत मामलों को अद्यतन करना और उनका प्रबंधन • न्यायालयगत मामलों के संबंध में सभी प्रकार का पत्र प्राप्त करना तथा उन्हें संबंधित अनुभागों को वितरित

क० शैलेन्द्र

			करना • संगत समय-सीमा के प्रभावी अनुपालन के लिए संबंधित अनुभागों के साथ न्यायालयगत मामलों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई तथा निगरानी • केन्द्र सरकार के स्टैंडिंग कौंसेल नियुक्त करने से संबंधित मामले और विधि संबंधी बिल का भुगतान।
30.	शिव दत्त शर्मा, अवर सचिव shiv.sharma67@nic.in (दूरभाष: 23748750)	सुरेन्द्र सिंह, उप सचिव surrender.singh64@gov.in (दूरभाष: 23368993)	**रोकड़:** • रोकड़ से संबंधित मामले।
31.	एल. सी. त्रेहन, अवर सचिव lokesh.trehan@nic.in vigilance-dfs@nic.in (दूरभाष: 23747018) (दूरभाष: 23748708)	श्रीकांत नामदेव, निदेशक shrikant.namdeo@gov.in (दूरभाष: 23742100)	**निगरानी प्रकोष्ठ:** • निगरानी।

2. किसी भी विवाद के मामले में, उप सचिव (समन्वय) संबंधित सीपीआईओ को आरटीआई आवेदनों को चिह्नित करेंगे और इस संबंध में उप सचिव (समन्वय) का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

3. कार्यालय में नामित सीपीआईओ/एए की अनुपस्थिति की स्थिति में, समय-समय पर स्थापना अनुभाग द्वारा नियुक्त लिंक अधिकारी नामित सीपीआईओ/एए के स्थान पर आरटीआई से संबंधित सभी मामलों का नियमित आधार पर निस्तारण करेगा।

4. मौजूदा सीपीआईओ/अपील प्राधिकारियों की सेवानिवृत्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति आदि के मामले में, स्थापना अनुभाग द्वारा नियुक्त पदस्थ अवर सचिव और निदेशक/उप सचिव को सीपीआईओ की अगली नियुक्ति तक क्रमशः सीपीआईओ और अपीलीय प्राधिकारी माना जाएगा। / एए समन्वय अनुभाग द्वारा किया जाता है।

(कुमार शैलेन्द्र)
सीपीआईओ/अवर सचिव (समन्वय)
दूरभाष नं.011-23746413

सूचना के लिए प्रतिलिपि:-

1. वित्त मंत्री के निजी सचिव/ एमओएस (वित्त) के निजी सचिव
2. सचिव (एफएस) के प्रधान निजी सचिव

इस आदेश को डीएफएस की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, डीएफएस को प्रतिलिपि।